न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 49/2018 राजस्व अपील

1. गिर्राज उर्फ छोटया पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी भालपुर तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा
रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा ता0 09.11.2017 प्रकरण सं. 19/17

उपस्थिति : श्री विजेन्द्र सिंह चेची अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांक: 01.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय द्वारा एक इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भालपुर तहसील सिकराय मे स्थित भूमि ख.न. 554 रकबा 0.255 है0 वन खण्ड नाहर खोहरा सं. 11 ए की भूमि पर अवैध कब्जा कर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया तथा अपीलान्ट पश्चातवीं अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 1100 रु शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 09.11.2017 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 09.11.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 49/2018 राजस्व अपील

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया। अपीलान्ट द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलान्ट की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम भालपुर तहसील सिकराय मे स्थित भूमि ख.न. 554 रकबा 0.255 है0 वन खण्ड नाहर खोहरा सं. 11 ए की भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 09.11.2017 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्मी को अतिक्मित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 1100 रु शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट का प्रश्नगत वन भूमि पर अतिक्मण नही होने तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्मण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम भालपुर तहसील सिकराय मे स्थित भूमि ख.न. 554 रकबा 0.255 है0 वन खण्ड नाहर खोहरा सं. 11 ए की भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official